न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 08 / 2018

निहालसिंह पुत्र मामराज जाति जाट निवासी मांदरी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2. नायब तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू

– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.12.2017
बअदालत नायब तहसीलदार खेतड़ी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम निहाल सिंह
मु.न. 45 / 2017, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थिति:–

1 .श्री रणजीत सिंह , एडवोकेट —— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 08.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.12.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम निहाल सिंह मु.न. 45/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने धारा 91 (3) के नोटिस जारी करके भू राजस्व अधिनियमके प्रावधानों की तरफ गौर ना कर मनमाने रूप से धारा 91 (3) के नोटिस जारी करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने नोटिस जारी करने से पहले पूर्वके धारा 91 के आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया क्योंकि उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर पेश ही नहीं थी। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के साथ पेश नक्शे में खसरा नंबर 127 दर्ज कर रखा है। इस तरफ अदालत मातहत ने गौर ना कर मनमाने रूप से अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही जारी करने में अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया कि पटवारी हल्का ने राजनैकि कारणों से अकेले अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की है जब कि मौकेपर और भी आदमियों का अतिकमण था व मौके पर 9 मीटर चौड़ा रास्ता मौजुद था, परन्त तहसील की टीम ने रास्ता 11 मीटर मानकर के छैलु पुत्र कालू व विकय पुत्र

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

रतीराम व नोरंग पुत्र रामेश्वर द्वारा 9 मीटर रास्ता मौके पर मौजुद था उसको 11 मीटर चौड़ा कर अन्य लोगों का अतिक्रमण हटाया है व पुख्ता डण्डा भी हटाया है। जबकि मौके पर अपीलान्ट की छड़ी व बाड़ 9 मीटर पर थी व मौके पर रास्ता भी 9 मीटर चौड़ा ही था, इस तरफ अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत में अपीलांट स्वयं दिनांक 14.12.2017 को उपस्थित आया था व अपना अतिक्रमण ना होने के बाबत लिखित में भी दिया था व अदालत मातहत ने अतिक्रमण ना होने का लिखित में देने पर कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश मौखिक प्रदान किया था। अदालत मातहत ने बाद में दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट के खिलाफ एक तरफा बेदखलीव सजा का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट को इस बाबत कोई तारीख नहीं दी गई। दिनांक 27.12.2017 को अपीलांट का कब्जा रास्ता 9 मीटर चौड़ा था को व अन्य लोगों के रास्ते को 9 मीटर की जगह 11 मीटर किया है। इस बात का भी अपीलांट ने कोईएतराज नहीं किया व अन्य लोग छैलू पुत्र कालू, विक्रम पुत्र रतीराम व नरेश पुत्र रामेश्वर की जगह भी रास्ता 9 मीटर की जगह 11 मीटर तय कर पुख्ता निर्माण हटाया गया है। इस बाबत भी प्रार्थी ने कोई एतराज नहीं किया। रास्ता अगर 9 मीटर की जगह 11 मीटर किया जाता है तो अपीलांट को कोई एतराज नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 15.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अदालत मातहत ने धारा 91 (3) के नोटिस जारी करके भू राजस्व अधिनियमके प्रावधानों की तरफ गौर ना कर मनमाने रूप से धारा 91 (3) के नोटिस जारी करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने नोटिस जारी करने से पहले पूर्वके धारा 91 के आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया क्योंकि उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर पेश ही नहीं थी। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के साथ पेश नक्शे में खसरा नंबर 127 दर्ज कर रखा है। इस तरफ अदालत मातहत ने गौर ना कर मनमाने रूप से अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही जारी करने में अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया कि पटवारी हल्का ने राजनैकि कारणों से अकेले अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की है जब कि मौकेपर और भी आदमियों का अतिक्रमण था

अति. जिला कलक्टर
सुजानगढ़

व मौके पर 9 मीटर चौड़ा रास्ता मौजुद था, परन्त तहसीलकी टीम ने रास्ता 11 मीटर मापकर के छैलु पुत्र कालू व विक्रय पुत्र रतीराम व नोरंग पुत्र रामेश्वर द्वारा 9 मीटर रास्ता मौके पर मौजुद था उसको 11 मीटर चोड़ा कर अन्य लोगों का अतिक्रमण हटाया है व पुख्ता डण्डा भी हटाया है जबकि मौके पर अपीलान्ट की छड़ी व बाड़ 9 मीटर पर थी व मौके पर रास्ता भी 9 मीटर चौड़ा ही था, इस तरफ अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत में अपीलांट स्वयं दिनांक 14.12.2017 को उपस्थित आया था व अपना अतिक्रमण ना होने के बाबत लिखित में भी दिया था व अदालत मातहत ने अतिक्रमण ना होने का लिखित में देने पर कार्यवाही डोप करने का आदेश मौखिक प्रदान किया था। अदालत मातहत ने बाद में दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट के खिलाफ एक तरफा बेदखलीव सजा का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट को इस बाबत कोई तारीख नहीं दी गई। दिनांक 27.12.2017 को अपीलांट का कब्जा रास्त्ज़ 9 मीटर चौड़ा था को व अन्य लोगों के रास्ते को 9 मीटर की जगह 11 मीटर किया है। इस बात का भी अपीलांट ने कोईएतराज नहीं किया व अन्य लोग छैलू पुत्र कालू, विक्रम पुत्र रतीराम व नरेश पुत्र रामेश्वर की जगह भी रास्ता 9 मीटर की जगह 11 मीटर तय कर पुख्ता निर्माण हटाया गया है। इस बाबत भी प्रार्थी ने कोई एतराज नहीं किया। रास्ता अगर 9 मीटर की जगह 11 मीटर किया जाता है तो अपीलांट को कोई एतराज नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मान्दरी स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 136 किस्म गै0 मु0 रास्ता के रकबा 50 वर्ग मीटर में बाड लगाकर दिनांक 5.12.2016 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 136 किस्म गै0 मु0 रास्ता के रकबा 50 वर्ग मीटर पर बाड लगाकर दिनांक 5.12.2016 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिक्रमण करने की हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 15.12.2017 पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैधानिक साबित हो। अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त अतिक्रमण रास्ते की भूमि का बताया था व उक्त रास्ता रिकार्ड में 9 मीटर चौड़ा था, परन्तु अदालत मातहत के आदेश की पालना में उक्त रास्ता 11 मीटर चौड़ा मानकर के दिनांक 27.12.2018 को अतिक्रमण हटा दिया गया है । उसके खिलाफ अब कोई अतिक्रमण का मकदमा नहीं है व ना ही उसका कोई अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित **आदेश 15.12.2017 उनवानी सरकार बनाम निहाल सिंह मु0नं0 45/2017 में गैर सायल को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है, सजा के बिन्दू तक आदेश निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा।** मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं